रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102026-277536
CG-DL-E-30102026-277536

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2026/कार्तिक 7, 1948
No.638] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2026/KARTIKA 7, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

एफ.सं.बीएस /11/07/2026-27.— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग भर्ती) विनियम, 2019 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो में वैज्ञानिक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग भर्ती) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) अभिप्रेत है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ग) "मूल्यांकन समिति" से विनियम 14 के उप-विनियम के (3) अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है;

(घ) गेट से भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा संचालित इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट अभिप्रेत है तथा गेट प्राप्तांक की वैधता वह होगी जो गेट आयोजक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएगी;

(ङ) "आंतरिक छानबीन समिति" (Internal Screening Committee) से विनियम 14 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है;

(च) "सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना" से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वह पहल अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की भर्ती एजेंसियों जैसे संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय नौसेना और कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के अननुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों (ऐसे उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं किंतु साक्षात्कार के बाद अनुशंसित नहीं होते हैं) के अंकों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है;

(छ) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "वैज्ञानिक संवर्ग" से विनियम 3 और 4 के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो वैज्ञानिक संवर्ग में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत हैं;

(झ) "छानबीन समिति (Screening Committee)" से विनियम 9 के अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है;

(ञ) "चयन समिति" से विनियम 10 के अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है;

(ट) "नियम" से भारतीय मानक ब्यूरो नियम अभिप्रेत हैं;

(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, विभिन्न अधिनियमों या नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके क्रमशः अधिनियम और नियमों में समनुदेशित हैं।

3. वैज्ञानिक संवर्ग का गठन – एक वैज्ञानिक संवर्ग का गठन किया जाएगा जिसे 'भारतीय मानक ब्यूरो वैज्ञानिक संवर्ग' कहा जाएगा जो प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट पदों और इन विनियमों की द्वितीय अनुसूची में दिए गए विषयों में नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर बनेगा।

4. वैज्ञानिक संवर्ग के सदस्य - निम्ननिलिखित व्यक्ति वैज्ञानिक संवर्ग के सदस्य होंगे, अर्थात:

(क) पूर्ववर्ती भारतीय मानक संस्थान सेवा संवर्ग के ऐसे व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन वैज्ञानिक संवर्ग के सदस्य बन गए हैं;

(ख) इन विनियमों के लागू होने से पहले भारतीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिक संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति; तथा

(ग) इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति।

5. भर्ती की पद्धति, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि – भर्ती की पद्धति, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

6. वैज्ञानिक 'ख' पर सीधी भर्ती – (1) वैज्ञानिक 'ख' के पद पर सीधी भर्ती उप-विनियम (3) के अनुसार निम्नलिखित के आधार पर की जाएगी:

(क) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन विषयों के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अधीन किसी भी नवीनतम परीक्षा में अंतिम प्राप्तांक;

(ख) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में गेट प्राप्तांक;

(ग) उन विषयों के संबंध में जिनके लिए सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना या गेट के अधीन कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना में शामिल एजेंसी से भिन्न किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित नवीनतम राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक या महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किसी पेशेवर संस्थान या एजेंसी के माध्यम से ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक:

परंतु उन समान विषयों के मामले में जिनमें सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना और गेट के अंतर्गत परीक्षा आयोजित की जाती है, यदि उपयुक्त विषय के उम्मीदवार उपलब्ध हैं तो रिक्तियों को प्रारंभ में सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अधीन किसी परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा, और यदि समान विषयों की रिक्तियां खाली रह जाती हैं, तो उन्हें कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात गेट प्राप्तांक के माध्यम से भरा जा सकेगा:

परंतु यह और कि कार्यकारी समिति, विषय-क्षेत्र के आधार पर सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली परीक्षा की पहचान करेगी, जिससे वैज्ञानिक 'ख' के पद पर भर्ती की जाएगी।

(2) वैज्ञानिकों की विषयवार आवश्यकता का निर्धारण वैज्ञानिकों की विद्यमान संख्या और विषयवार रिक्तियों के आधार पर कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया जाएगा।

(3) रिक्तियों को भरने का तरीका इस प्रकार होगा:-

क) यथा अवधारित रिक्तियों का विज्ञापन अखिल भारतीय स्तर पर प्रमुख समाचार पत्रों में दिया जाएगा जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त विषय-वार पदों की संख्या, योग्यता, आयु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियाँ जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी, के आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी;

ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य, अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य धारण करने वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी अधिकतम आयु तीस वर्ष हो, वैज्ञानिक 'ख' के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे:

परंतु यह कि ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में तथा व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के संबंध में, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु-सीमा शिथिल की जा सकेगी;

ग) यथालागू, सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अधीन किसी परीक्षा में अंतिम प्राप्तांक या गेट प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए अल्पसूचीबद्ध किया जाएगा और साक्षात्कार अथवा समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, योग्यता क्रम में संबंधित विषयों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के छह गुना से अधिक नहीं होगी;

घ) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए,ब्यूरो महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किसी पेशेवर संस्थान या एजेंसी के माध्यम से एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा और साक्षात्कार अथवा समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या,प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से,योग्यता क्रम में संबंधित विषयों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के छह गुना से अधिक नहीं होगी;

ङ) सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना में शामिल एजेंसी से भिन्न किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए, कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और साक्षात्कार अथवा समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, योग्यता क्रम में संबंधित विषयों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के छह गुना से अधिक नहीं होगी।

च) अभ्यर्थियों का चयन विषय-वार एक या अधिक चयन समितियों द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जो खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अंतर्गत परीक्षा के अंतिम प्राप्तांक या गेट प्राप्तांक, यथास्थिति, अथवा खंड (घ) में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्रक्रिया अथवा खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट परीक्षा के प्राप्तांक को 85 प्रतिशत भारांक तथा खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अंतर्गत साक्षात्कार अथवा समूह चर्चा और साक्षात्कार को 15 प्रतिशत भारांक देकर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी;

छ) उन मामलों में जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को खंड (ग), (घ), (ङ) और (च) में निर्धारित मानदंडों के आधार पर नहीं भरा जा सकता है, वहां इन उम्मीदवारों की उपयुक्तता के अधीन शिथिलता प्रदान करके इनका चयन किया जाए;

ज) सफल उम्मीदवारों की एक आरक्षित सूची तैयार की जा सकती है जो ऐसी सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी:

परंतु यह कि आरक्षित सूची में उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

7. वैज्ञानिक 'ख' के लिए परिवीक्षा और प्रतिभू बंधपत्र (Surety Bond) - (1) सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'ख' के रूप में नियुक्त अथवा पदोन्नत उम्मीदवारों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी जिसके दौरान महानिदेशक द्वारा उस प्रशिक्षण की व्यवस्था और यथा आवश्यक दायित्व दिया जाएगा तथा उन्हें परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के लिए विहित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी।

(2) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए और निम्नलिखित के लिए कदम उठाए जाएंगे –

(क) यदि परीवीक्षाधीन अभ्यर्थी ने नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार परिवीक्षा अवधि पूर्ण की हो तो, यथास्थिति उसकी पुष्टि की जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति से संबंधित आदेश जारी किया जाएगा; या

(ख) संबद्ध नियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाएगी, जो छह माह से अधिक न हो या परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी कार्यमुक्त किया जाएगा अथवा परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जाएगी:

परंतु यह है कि यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति एक पदोन्नत कर्मचारी है, तो समुचित चयन समिति की सिफारिशों पर उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय उसे उसके पूर्व पद पर वापस भेजा जा सकता है।

(3) यथास्थिति, परीवीक्षाधीन अभ्यर्थी की पुष्टि करने या परीवीक्षा अवधि को बढ़ाने के निर्णय की सूचना अभ्यर्थी को परीवीक्षा अवधि समाप्त होने के सामान्यत: आठ सप्ताह के भीतर प्रदान की जाएगी।

(4) परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी की पुष्टि स्वतः नहीं होगी, अपितु इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा; और ऐसे किसी आदेश के अभाव में, ऐसा परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी परिवीक्षा पर ही माना जाएगा।

(5) जिस तारीख से पुष्टि किया जाना प्रभावी हो, यथास्थिति, वह विहित परिवीक्षा अवधि अथवा विस्तारित परिवीक्षा अवधि की अगली तारीख होगी।

(6) वैज्ञानिक 'ख' के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को ब्यूरो में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि की सेवा का प्रतिभूबंधपत्र देना होगा जो कि ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा और कोई अभ्यर्थी यदि नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से पूर्व या तो त्यागपत्र देकर सेवा छोड़ने का निर्णय लेता है या बिना अनुमति के सेवा से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अंतिम लिए गये

वेतन की दर पर ब्यूरो को छह माह की परिलब्धियां लौटानी होंगी, यदि उसने कमतर अवधि के लिए काम किया हो, उस मामले में उसे ली गई पूरी राशि लौटानी होगी।

8. प्रतिनियुक्ति द्वारा चयन – (1) जहाँ कार्यकारिणी समिति ब्यूरो के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे, वहाँ वह वैज्ञानिक 'ग' और इसके ऊपर वैज्ञानिक 'छ' पद के स्तर तक के पदों को प्रतिनियुक्ति पर भर सकेगी:

परन्तु वैज्ञानिक 'च' और वैज्ञानिक 'छ' के पदों की दशा में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन लेना होगा।

(2) ऐसे पदों को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा, जिसमें प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्टानुसार पदों की संख्या, अर्हताएँ, अनुभव, आयु-सीमा और विशिष्ट विशेषज्ञता, यदि आवश्यक हो, से संबंधित पूर्ण जानकारी देनी होगी।

(3) जो उम्मीदवार अर्हताओं को पूरा करते हैं और छानबीन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए हों, उन्हें चयन के लिए बुलाया जाएगा।

9. छानबीन समिति (Screening Committee) – (1) प्रतिनियुक्ति द्वारा और विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खंड (घ) को छोड़कर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए, ब्यूरो के तीन अधिकारियों से मिलकर बनने वाली एक छानबीन समिति होगी, जो वैज्ञानिक 'घ' के स्तर से नीचे के नहीं होंगे, और उनमें से ज्येष्ठ अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा, जिसे महानिदेशक द्वारा नामित किया जाएगा:

परंतु यह कि छानबीन समिति में कम से कम एक अधिकारी उस पद के स्तर से ऊपर का होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है।

(2) छानबीन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों पर चयन के लिए चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

10. चयन समिति– (1) महानिदेशक द्वारा वैज्ञानिक 'ख', वैज्ञानिक 'ग', वैज्ञानिक 'घ' और वैज्ञानिक 'ङ' के पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) ब्यूरो के दो अधिकारी जो वैज्ञानिक 'च' के स्तर से अन्यून हों जिनमें से ज्येष्ठ अध्यक्ष होगा; और

(ii) बाहर से तीन विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक 'च' की पंक्ति से अन्यून के हों:

परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से किसी व्यक्ति के चयन के संबंध में इन श्रेणियों से संबंधित एक सदस्य होगा।

(2) वैज्ञानिक 'च' और वैज्ञानिक 'छ' के पदों पर चयन के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) सचिव, ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंत्रालय या विभाग	-	अध्यक्ष
(ii) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग;	-	सदस्य
(iii) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो;	-	सदस्य
(iv) निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला;	-	सदस्य
(v) निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान;	-	सदस्य, और
(vi) सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या	-	सदस्य

उसका प्रतिनिधि जो कि संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो।

11. नियुक्ति प्राधिकारी– चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वैज्ञानिक 'च' और वैज्ञानिक 'छ' के पदों पर नियुक्ति नहीं की जाएगी।

12. निरर्हता- (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर प्रारंभिक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि –

(क) उसने 21 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो; और

(ख) वह भारत का नागरिक हो या वह व्यक्ति ऐसे प्रवर्ग से संबंधित हो जो केंद्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र हो।

(2) ऐसे व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

13. भारत और भारत के बाहर सेवा करने के लिए वैज्ञानिकों के दायित्व - (1)वैज्ञानिक भारत और भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) वैज्ञानिक को ऐसे प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के अनुक्रम के ब्यौरे पर भारत या भारत से बाहर जाना होगा जिनका विनिश्चय समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया हो।

(3) यदि किसी भी कारण से, प्रशिक्षण के लिए ब्यौरेवार वैज्ञानिक, प्रशिक्षण के दौरान या ऐसे प्रशिक्षण के पूरा होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी सेवा को छोड़ देता है तो उसे प्रशिक्षण की पूरी लागत को प्रतिदत्त करना होगा।

14. वैज्ञानिक 'ख' और इससे ऊपर के पद पर प्रोन्नति - (1)वैज्ञानिक 'ग' से वैज्ञानिक 'छ' तक के स्तर के पदों पर प्रोन्नति केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर वैज्ञानिक संगठनों के लिए यथा-संशोधित, उपांतरित लचीली पूरक स्कीम में अधिकथित रीति से तत्काल निचले स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों में से प्रोन्नति की जाएगी।

(2) आंतरिक छानबीन समिति हेतु -

(क) वैज्ञानिक 'ङ' तक के स्तर पर प्रोन्नति के लिए, महानिदेशक द्वारा समिति गठित की जाएगी, जिसमें ब्यूरो के कम से कम वैज्ञानिक 'च' स्तर के तीन अधिकारी शामिल होंगे ,और उनमें से ज्येष्ठतम समिति का अध्यक्ष होगा तथा चयन प्रक्रिया में परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष एवं डीआरडीओ से एक बाहरी सदस्य को सह-योजित किया जाएगा;

(ख) वैज्ञानिक 'ङ' से वैज्ञानिक 'च' और वैज्ञानिक 'च' से वैज्ञानिक 'छ' पर प्रोन्नति के लिए, निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी, अर्थात् –

(i) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंत्रालय या विभाग; - अध्यक्ष

(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष एवं डीआरडीओ से एक बाहरी सदस्य, - सदस्य; और

जो वैज्ञानिक 'च' या वैज्ञानिक 'छ' के स्तर से कम के न हो,जिसे महानिदेशक

द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(iii) ब्यूरो से ऐसा कोई अधिकारी जो वैज्ञानिक 'च' या वैज्ञानिक 'छ' - सदस्य

के स्तर से कम के न हो, महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(3) निर्धारण समिति –

(क) वैज्ञानिक 'ङ' के स्तर तक प्रोन्नति के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) ब्यूरो के ऐसे दो अधिकारी जो वैज्ञानिक 'च' के स्तर से अन्यून हों जिसमें से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा; और

(ii) बाहर से तीन विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक 'च' की पंक्ति से अन्यून के हों;

परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से किसी व्यक्ति के चयन के संबंध में इन श्रेणियों से संबंधित एक सदस्य होगा।

(ख) वैज्ञानिक 'च' और वैज्ञानिक 'छ' के स्तर पर प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित सदस्य शामिल किए जाएंगे, अर्थात्

(i) ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंत्रालय या विभाग का सचिव;	-	अध्यक्ष
(ii) अनुसंधान या वैज्ञानिक गतिविधियों में शामिल संस्थाओं या संगठनों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले अन्य मंत्रालयों या विभागों के दो सचिव या उनके ऐसे प्रतिनिधि जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम में जिस पद हेतु स्वस्थाने प्रोन्नति की जानी है, वे उससे कम से कम एक स्तर ऊपर के हों	-	सदस्य
(iii) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो	-	सदस्य
(iv) निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	-	सदस्य
(v)निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान	-	सदस्य

(4) वैज्ञानिक 'ख' से वैज्ञानिक 'ग', वैज्ञानिक 'ग' से वैज्ञानिक 'घ' और वैज्ञानिक 'घ' से वैज्ञानिक 'ङ' पर प्रोन्नति करने हेतु वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों के संबंध में निर्धारण समिति की सिफारिशों को नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

(5) वैज्ञानिक 'ङ' से वैज्ञानिक 'च' और वैज्ञानिक 'च' से वैज्ञानिक 'छ' पर प्रोन्नति करने हेतु वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों के संबंध में निर्धारण समिति की सिफारिशों को केंद्रीय सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

(6) अधिकारियों की यथा सिफारिश प्रोन्नतियाँ, उनके अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होंगी।

15. वैज्ञानिक 'ख' के पद पर प्रोन्नति – (1) वैज्ञानिक 'ख' पद पर प्रोन्नति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

(2) वैज्ञानिक 'ख' के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों को निम्नलिखित घटकों के आधार पर प्रोन्नति के लिए निर्धारण किया जाएगा और प्रत्येक घटक के लिए सापेक्ष निर्धारण निम्नानुसार होगाः

(क) लिखित परीक्षा - 50 प्रतिशत

(ख) वार्षिक कार्यकारिता मूल्यांकन रिपोर्ट – 50 प्रतिशत

(3) लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो भाग होंगेः

(i) मानकीकरण और गुणता नियंत्रण से संबंधित सामान्य अवधारणाएँ; और

(ii) अभ्यर्थियों के संबंधित विषय का तकनीकी ज्ञान, जैसा कि दूसरी अनुसूची में दिया गया गया है;

(4) लिखित परीक्षा में अर्हता अंक पचपन प्रतिशत होंगे।

(5) पिछले पांच वर्षों के लिए वार्षिक कार्यकारिता मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के लिए अंक आवंटित किए जाएंगे, जो एपीएआर ग्रेडिंग के अनुसार अधिकतम 10 अंकों में से प्रत्येक वर्ष के लिए निम्न आधार पर होगा;:

उत्कृष्ट	9
बहुत अच्छा	7
अच्छा	5
औसत	3

(6) लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और पिछले पाँच वर्षों के एपीएआर के मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक सूची तैयार की जाएगी।

(7) वैज्ञानिक-ख की प्रोन्नति के लिए अधिकारियों के संबंध में चयन सूची महानिदेशक को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी।

(8) अधिकारियों की प्रोन्नति उनके अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगी।

16. स्थायी समितिः (1) कम से कम वैज्ञानिक 'च' के स्तर से ऊपर वाले ब्यूरो के तीन अधिकारियों के सम्मिलन से कार्यकारी समिति द्वारा विषयों के समकक्ष निर्धारण के लिए स्थायी समिति बनाई जाएगी इनमें से ज्येष्ठतम अधिकारी समिति का अध्यक्ष रहेगा।

(2) विशेषज्ञता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कि अपेक्षित हो सकती है, स्थायी समिति अपेक्षित प्रयोजन के लिए समय समय पर यथा अपेक्षित अतिरिक्त विषयों का अवधारण भी करेगी।

17. संवर्ग की स्वीकृत संख्या – (1) संवर्ग की स्वीकृत संख्या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर अवधारण किए जाने के अनुसार होगी और इस संवर्ग संख्या में वैज्ञानिक ख, ग, घ, ङ, च और छ के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले पदों की कुल संख्या वर्तमान में 579 होगी।

परन्तु इन पदों की कुल संख्या प्राधिकृत संख्या से अधिक नहीं होने की शर्त पर उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के कारण वैज्ञानिक ख ,ग ,घ ,ङ ,च और छ पदों के बीच परस्पर अंर्तपरिर्वनीयता होगी।

(2)उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति संबंधित अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होगी और इसके फलस्वरूप निम्न ग्रेड में कोई विशिष्ट रिक्ति नहीं होगी।

(3)संबंधित अधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद अपग्रेड किया जाएगा और स्वस्थाने प्रोन्नत पद उनके पद ग्रहण करने की अवधि के दौरान व्यक्तिगत होगा।

(4)अधिकारी की अधिवर्षिता ,त्यागपत्र,पदच्युति या निधन के कारण हुई रिक्ति के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक 'ख' का मूल पद ही वापस रिक्त होगा।

18. शिथिल करने की शक्ति– जहाँ कार्यकारिणी समिति की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

19. व्यावृत्ति –इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण ,आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों ,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

20. निर्वचन – इन विनियमों की निवर्चन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ब्यूरो द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

प्रथम अनुसूची

(विनियम 3, 5, 8 और 15 देखें)

क्र. सं.	पद का नाम और वेतन मेट्रिक्स में स्तर	पदों की संख्या	पदों को भरने की पद्धति	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के लिए अनुभव।	पदोन्नति के लिए पात्रता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वैज्ञानिक 'ख' — स्तर 10 में (₹56100-177500)।	परिवर्तनीय*	(क) संवर्ग से 90% पद सीधी भर्ती द्वारा।	-	-	-	-

			(i) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अंतर्गत आयोजित नवीनतम परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद अंतिम प्राप्तांक के आधार पर।	तीस वर्ष।	अनिवार्य – (क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। (ख) सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अंतर्गत आयोजित नवीनतम परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद प्राप्तांक। टिप्पण 1: नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अन्यथा अर्हता प्राप्त अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी, यदि चयन के किसी भी चरण में नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा करते समय अर्हताओं में छूट देने	कुछ नहीं।	लागू नहीं।

					के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।		
			(ii) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन विषयों के संबंध में गेट प्राप्तांक के आधार पर, जिनके लिए गेट परीक्षा आयोजित की जाती है।	तीस वर्ष।	अनिवार्य - (क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। (b) गेट प्राप्तांक टिप्पण 1: नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अन्यथा अर्हता प्राप्त अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी, यदि चयन के किसी भी चरण में नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा करते समय अर्हताओं में छूट देने के कारणों को	कुछ नहीं।	लागू नहीं।

					लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।		
			(iii) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन विषयों के संबंध में, जिनके लिए सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना या गेट के अंतर्गत कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अंतर्गत शामिल न होने वाली किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर;	तीस वर्ष।	अनिवार्य - (क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। (ख) सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अंतर्गत शामिल न होने वाली किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित नवीनतम राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का प्राप्तांक। टिप्पण 1: नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अन्यथा अर्हता प्राप्त अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी, यदि चयन के किसी भी चरण में नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त	कुछ नहीं।	लागू नहीं।

					संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा करते समय अर्हताओं में छूट देने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।		
			iv) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, दूसरी अनुसूची में दिए उन विषयों के संबंध में, जिनके लिए सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना अथवा गेट के अंतर्गत कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।	तीस वर्ष	अनिवार्य - (क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। टिप्पण 1: नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अन्यथा अर्हता प्राप्त अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी, यदि चयन के किसी भी चरण में नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी	कुछ नहीं।	लागू नहीं।

					ऐसा करते समय अर्हताओं में छूट देने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।		
			(ख) विनियम 15 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 10% पद समूह 'ख' पदों से प्रोन्नति द्वारा।	पचास वर्ष	लागू नहीं।	लागू नहीं।	(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। (ख) प्रयोगशाला तकनीकी संवर्ग पद में तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) के रूप में दस वर्षों का सम्मिलित अनुभव या ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (ड्राइंग) या पर्यवेक्षक (ड्राइंग) के रूप में दस वर्षों का

							अनुभव। (ग) विनियम 15 में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण।
2.	वैज्ञानिक-'ग' लेवल 11 (रु . 67700-208700)	परिवर्तनीय*	प्रोन्नति	-	-	-	केंद्रीय सरकार की उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अनुसार।
			प्रतिनियुक्ति	छप्पन वर्ष	अनिवार्य : दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में डॉक्टरेट उपाधि या समतुल्य।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सांविधिक संगठनों, स्वायत्त निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में (रु. 56100-177500) में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की है और (ख) जिनके पास मानकीकरण या	

						क्वालिटी या आश्वासन या परीक्षण या उत्पादन या डिजाइन या अनुसंधान के क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्षानुवर्षी आधार पर पाँच वर्ष की अधिकतम अध्याधीन रहते हुए और बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण 2 : पोषक संवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, सिवाय उसके जो फीडर ग्रेड के अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए	

						जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
3.	वैज्ञानिक 'घ' स्तर 12 (रु . 78800-209200)	परिवर्तनीय'	प्रोन्नति	-	-	-	केंद्रीय सरकार की उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अनुसार।
			प्रतिनियुक्ति	छप्पन वर्ष	अनिवार्य : दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सांविधिक संगठनों, स्वायत्त निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए	

					सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में डॉक्टरेट उपाधि या समतुल्य।	हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक के स्तर 11 में (रू.67700-208700) में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास मानकीकरण या क्वालिटी या आश्वासन या परीक्षण या उत्पादन या डिजाइन या अनुसंधान के क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्षानुवर्षी	

						आधार पर पाँच वर्ष की अधिकतम अध्यधीन रहते हुए और बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण 2 : पोषक संवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, सिवाय उसके जो फीडर श्रेणी के अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
4.	वैज्ञानिक 'ङ' स्तर 13 (रु . 123100-215900)	परिवर्तनीय*	प्रोन्नति	-	-	-	केंद्रीय सरकार की उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अनुसार।

			प्रतिनियुक्ति	छप्पन वर्ष	अनिवार्य : दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में डॉक्टरेट उपाधि या समतुल्य।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सांविधिक संगठनों, स्वायत्त निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में (78800-209200) में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (रु. 67700-208700) में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास	

						मानकीकरण या क्वालिटी या आश्वासन या परीक्षण या उत्पादन या डिजाइन या अनुसंधान के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्षानुवर्षी आधार पर पाँच वर्ष की अधिकतम अध्यधीन रहते हुए और बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण 2 : पोषक संवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, सिवाय उसके जो फीडर श्रेणी के	

						अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
5.	वैज्ञानिक-'च' स्तर 13ए (रु.131100-216600)	परिवर्तनीय*	प्रोन्नति	-	-	-	केंद्रीय सरकार की उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अनुसार।
			प्रतिनियुक्ति	छप्पन वर्ष	अनिवार्य : दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सांविधिक संगठनों, स्वायत्त निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्:	

					वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में डॉक्टरेट उपाधि या समतुल्य।	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रु. 123100-215900) में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु. 78800-209200) में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास मानकीकरण या क्वालिटी या आश्वासन या परीक्षण या उत्पादन या डिजाइन या अनुसंधान के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी	

						या किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्षानुवर्षी आधार पर पाँच वर्ष की अधिकतम अध्यधीन रहते हुए और बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण 2 : पोषक संवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, सिवाय उसके जो फीडर श्रेणी के अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

						टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
6.	वैज्ञानिक-'छ' स्तर 14 (रु . 144200-218200)	परिवर्तनीय*	प्रोन्नति	-	-	-	केंद्रीय सरकार की उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अनुसार।
			प्रतिनियुक्ति	छप्पन वर्ष	अनिवार्य : दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में स्नातक उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सांविधिक संगठनों, स्वायत्त निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए (रु. 131100-216600) में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के बाद	

					चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य अथवा प्रकृत विज्ञान में डॉक्टरेट उपाधि या समतुल्य।	उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रु. 123100-215900) में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में चार वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास मानकीकरण या क्वालिटी या आश्वासन या परीक्षण या उत्पादन या डिजाइन या अनुसंधान के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव हो, जिनमें से प्रशासन, आयोजना, विकास तथा संबंधित क्षेत्र में सहयोग का सात वर्ष का अनुभव हो तथा सुसंगत क्षेत्र में कार्यक्रमों को विकसित प्रबंधित एवं निदेशित करने का अनुभव हो। टिप्पण1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी विभाग में इस	

						नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्षानुवर्षी आधार पर पाँच वर्ष की अधिकतम अध्यधीन रहते हुए और बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण : 2 पोषक संवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं ,सिवाय उसके जो फीडर श्रेणी के अधिकारी नहीं हैं ,प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण : 3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त	

						करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

*** आज की तारीख में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 579 है।**

टिप्पण : पहली अनुसूची के स्तम्भ 2 में उपदर्शित पदनाम के अतिरिक्त महानिदेशक कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों को पदाभिहित कर सकते हैं।

दूसरी अनुसूची

(विनियम 3, 6 और 15 तथा पहली अनुसूची देखें)

विषयों की सूची

I विज्ञान पाठ्यक्रम

1. कृषि
2. रसायन
3. जीव-रसायन विज्ञान
4. सूक्ष्म जीवविज्ञान
5. भौतिक विज्ञान
6. कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी
7. चिकित्सा (एमबीबीएस)
8. पर्यावरण विज्ञान

II. इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

1. खाद्य प्रौद्योगिकी
2. कृषि इंजीनियरी
3. जैव-प्रौद्योगिकी
4. डेयरी प्रौद्योगिकी
5. रसायनिक
6. शैल रसायन
7. पर्यावरण
8. चमड़ा
9. वस्त्र इंजीनियरी और फाइबर विज्ञान
10. विद्युत
11. इंस्ट्रुमेंटेशन
12. इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार
13. कंप्यूटर
14. सिविल
15. मेक्ट्रोनिक्स
16. परिवहन
17. मकेनिकल

18. उत्पादन और औद्योगिक

19. ऑटोमोबाइल

20. खनन

21. जैव-रसायन विज्ञान

22. धातुकर्म

टिप्पण : जहां दो विषयों को संयुक्त किया गया है, वहां एक या दोनों की अर्हता स्वीकार्य हैं।

अलका, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./407/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October 2026

F. No. BS/11/07/2026-27.— In exercise of the powers conferred by section 39 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Regulations, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Scientists in the Bureau of Indian Standards, Ministry of Consumer Affairs, namely:

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires–

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(b) “appointing authority” means the Director General;

(c) “Assessment Committee” means the committee constituted under sub-regulation (3) of regulation 14;

(d) GATE means the Graduate Aptitude Test in Engineering conducted by the Indian Institute of Science and the Indian Institutes of Technology and validity of the Gate score shall be as decided by GATE Organizing Institute, from time to time.

(e) “Internal Screening Committee” means the committee constituted under sub-regulation (2) of regulation 14;

(f) “Public Disclosure Scheme” means the initiative of the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensioners, Government of India wherein for making available publically scores of non-recommended willing candidates (Candidates who qualify the written examinations but are not recommended after the interview) of the recruitment examinations conducted by the Central Government recruiting agencies viz. Union Public Service Commission, Railway Recruitment Board, Defence Research and Development Organization, Indian Navy, and Staff Selection Commission etc;

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these regulations;

(h) "Scientific Cadre" means the posts specified in Bureau of Indian Standards Scientific Cadre constituted under regulations 3 and 4;

(i) "Screening Committee" means the committee constituted under regulation 9;

(j) "Selection Committee" means the committee constituted under regulation 10;

(k) "Rules" means the Bureau of Indian Standards Rules.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act or the rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the rules.

3. Constitution of Scientific Cadre. – There shall be constituted a Scientific Cadre to be called the Bureau of Indian Standards Scientific Cadre consisting of persons appointed to the posts specified in column (2) of the First Schedule and in the disciplines as specified in the Second Schedule.

4. Members of Scientific Cadre. – The following persons shall be the members of the Scientific Cadre, namely :-

(a) persons from the erstwhile Indian Standards Institution Service Cadre who have become members of the Scientific Cadre under the Act;

(b) persons appointed to the Scientific Cadre of Bureau of Indian Standards prior to the commencement of these regulations; and

(c) persons appointed under these regulations.

5. Method of recruitment, Level in Pay Matrix, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, level in the Pay Matrix, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the First Schedule.

6. Direct recruitment of Scientist 'B'. – (1) Direct recruitment to the post of Scientist 'B' shall be made in accordance with sub-regulation (3) on the basis of:

(a) the final score in any latest examination under Public Disclosure Scheme in respect of those disciplines specified in the Second Schedule;

(b) the GATE score in respect of the disciplines specified in the Second Schedule;

(c) the score obtained in a latest national level examination conducted by a Government agency other than covered in Public Disclosure Scheme or by competitive examination by the Bureau through a professional institution or agency as approved by the Director General in respect of those disciplines for which any examination under Public Disclosure Scheme or GATE is not conducted:

Provided that in respect of common disciplines in which examination under Public Disclosure Scheme and GATE are conducted, the vacancies shall initially be filled by any examination under Public Disclosure Scheme, if candidates of suitable discipline are available and in case where the vacancies for common disciplines remain unfilled, the same may be filled after approval of the Executive Committee through GATE Score:

Provided further that the Executive Committee shall identify the examination under Public Disclosure Scheme, based on the discipline from which recruitment to the post of Scientist 'B' shall be made.

(2) The discipline wise requirement of scientists shall be determined with the approval of the Executive Committee on the basis of the existing strength of scientists and the discipline-wise vacancies.

(3) The vacancies shall be filled in the following manner, namely :-

(a) the vacancies shall be advertised on All-India basis in the leading newspapers giving among others, full information regarding discipline wise number of posts, qualification, age-limit, reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and such other categories of persons as may be notified by the Central Government from time to time;

(b) candidates possessing Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent-or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent from university/institution/board recognised by the Central Government or approved by Government regulatory bodies with maximum age of thirty years shall be eligible to apply for the post of Scientist 'B':

Provided that the upper age limit may be relaxed in case of officers and employees of the Bureau and in respect of such categories of persons as may be notified by the Central Government from time to time;

(c) the candidates having a final score in any examination under Public Disclosure Scheme or GATE score, as applicable, shall be shortlisted for interview and the number of candidates to be called for interview or group discussion and interview shall be not more than six times the number of vacancies advertised in the respective disciplines in order of merit;

(d) for appointment through competitive examination, the Bureau shall conduct a competitive examination through a professional institution or agency as approved by the Director General and the number of candidates to be called for interview or group discussion and interview shall not be more than six times the number of vacancies advertised in the respective disciplines, in order of merit from among those who have secured a minimum of fifty per cent marks in the

competitive examination;

(e) for appointment through the national level examination conducted by a Government agency other than covered in Public Disclosure Scheme, approval of the Executive Committee shall be obtained and number of candidates to be called for interview or group discussion and interview shall not be more than six times the number of vacancies advertised in the respective disciplines in order of merit.

(f) the candidates shall be selected discipline-wise by one or more Selection Committees on the basis of merit as determined by the aggregate marks obtained by giving eighty-five percent weightage to final score of examination under the Public Disclosure Scheme or GATE score, as the case may be, specified in clause (c) or examination process specified in clause (d) or score of examination specified in clause (e) and by giving fifteen percent weightage to interview or group discussion and interview under clause (c), clause (d) and clause (e);

(g) in cases where the vacancy reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and any other categories notified by the Central Government cannot be filled on the basis of the criteria laid down in clauses (c), (d), (e) and (f), be selected by giving relaxation subject to suitability of these candidates;

(h) a reserved list of successful candidates may be drawn which shall remain valid for a period of one year from the date such list is drawn:

Provided that the number of candidates in the reserved list shall not exceed the number of posts advertised.

7. Probation and surety bond for Scientist 'B'. - (1) The Scientist 'B' appointed on direct recruitment or on promotion shall be on probation for a period of two years during which the Director General shall arrange to give them such training and responsibilities as deemed necessary and prescribe departmental examination or examinations to be passed for successful completion of probation.

(2) On expiry of the period of probation, steps shall be taken to obtain the assessment reports of the probationer to –

(a) confirm the probationer and issue orders regarding satisfactory termination of probation, if the probationer has completed the period of probation to the satisfaction of the appointing authority; or

(b) extend the period of probation by not more than six months or discharge the probationer or terminate the services of the probationer, as the case may be, in accordance with the rules and orders:

Provided that if the probationer is a promotee, he may be reverted to his former position instead of terminating his service on recommendations of the appropriate Selection Committee.

(3) The decision to confirm the probationer or to extend the period of probation, as the case may be, shall be communicated to the probationer normally within eight weeks of expiry of period of probation.

(4) The confirmation of the probationer after completion of the period of probation is not automatic but shall be followed by formal order and in the absence of such an order, such probationer shall be deemed to be on probation.

(5) The date from which confirmation shall be given effect is the date following the completion of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be.

(6) On appointment to the post of Scientist 'B', the candidate shall furnish a surety bond in the form specified by the Bureau for serving the Bureau for a minimum period of three years and in case such person decides to leave the service either by resignation or absence from service without permission, before three years from the date of appointment, he shall reimburse the Bureau six months emoluments at the rate last drawn by him unless he has worked for a shorter period in which case he shall be required to reimburse the full amount drawn by him.

8. Selection by deputation. – (1) Where the Executive Committee considers it is expedient so to do in the interest of the Bureau, it may fill up such number of posts at the level of Scientist 'C' and above upto Scientist 'G' by deputation:

Provided that in case of posts of Scientist 'F' and Scientist 'G', the approval of Central Government shall be required.

(2) The posts to be filled by deputation shall be advertised in the leading newspapers giving among others, full information regarding number of posts, qualifications, experience, age-limit, special expertise, if required, as specified in the First Schedule.

(3) Candidates who fulfill the requirements and are shortlisted by the Screening Committee shall be called for selection.

9. Screening Committee. – (1) A Screening Committee consisting of three officers of the Bureau not below the rank of Scientist 'D' for the post to be filled by deputation and by direct recruitment except under clause (d) of sub-regulation (3) of regulation 6 and the senior most amongst them shall be the Chairperson of the committee, who shall be nominated by the Director General:

Provided that at least one officer in the Screening Committee shall be above the rank of the post for which the selection is being made.

(2) The candidates as shortlisted by the Screening Committee shall be considered by the Selection Committee for selection.

10. Selection Committee. – (1) A Selection Committee for selection to the posts of Scientist 'B', Scientist 'C', Scientist 'D' and Scientist 'E' shall be constituted by the Director General comprising the following members, namely :-

(i) two officers of the Bureau not below the level of Scientist 'F', senior among whom shall be the Chairperson; and

(ii) three experts from outside not below the rank of Scientist 'F':

Provided that one such member shall belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category in case of selection of person from these categories.

(2) The Selection Committee for selection to the posts of Scientist 'F' and Scientist 'G' shall comprise the following members, namely :-

(i) Secretary, Ministry or Department having administrative control of the Bureau	- Chairperson;
(ii) Secretary, Department of Science and Technology	- Member;
(iii) Director General, Bureau of Indian Standards	- Member;
(iv) Director, National Physical Laboratory	- Member;
(v) Director, Central Food Technological Research Institute	- Member; and
(vi) Secretary, Department of Personnel and Training or his representative not below the rank of Joint Secretary	- Member

11. Appointing authority. – Appointments to all posts shall be made by the appointing authority on the recommendations of the Selection Committee:

Provided that no appointment to the posts of Scientist 'F' and Scientist 'G' shall be made without the prior approval of the Central Government.

12. Disqualification. – (1) No person shall be eligible for initial appointment to any post, unless–

(a) he has attained the age of twenty-one years; and

(b) he is citizen of India or belongs to such category of persons as may be eligible for appointment under the Central Government.

(2) No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts.

13. Liability of Scientists to serve in India and outside. – (1) The Scientists shall be liable to serve anywhere in India and outside India.

(2) Scientist shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or outside India as the Central Government may decide from time to time.

(3) Scientists detailed for training shall refund in full the cost of training, if for any reason during the training or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

14. Promotion of Scientists 'B' and above. – (1) The promotions to the posts of Scientist 'C' upto level of Scientist 'G' shall be made from amongst the officers serving in the immediate lower grade in the manner as laid down in the Revised Flexible Complementing Scheme for Scientific organisations as amended from time to time by the Central Government.

(2) An Internal Screening Committee for -

(a) promotion upto the level of Scientist 'E' shall be constituted by the Director General, comprising of three officers of the Bureau not below the rank of Scientist 'F' and the senior most amongst them shall be the Chairperson of the committee and an external member from the Departments of Atomic Energy, Space or DRDO, shall be co-opted in the selection process;

(b) promotion of Scientist 'E' to Scientist 'F' and Scientist 'F' to Scientist 'G' shall comprise of the following members, namely: -

(i) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry or Department having administrative control of the Bureau -	Chairperson;
(ii) one external member not below the level of Scientist 'F' or Scientist 'G', from the Departments of Atomic Energy, Space or DRDO, to be nominated by the Director General -	Member; and
(iii) one officer from the Bureau not below the level of Scientist 'F' or Scientist 'G', to be nominated by the Director General –	Member

(3) An Assessment Committee for –

(a) promotion upto the level of Scientist 'E' shall be constituted by the Executive Committee comprising the following members, namely: -

(i) two officers of the Bureau not below the level of Scientist 'F' and the senior between them shall be the Chairperson; and

(ii) three experts from outside not below the rank of Scientist 'F':

Provided that one member shall belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category, in case of selection of person from these categories.

(b) promotion to the posts of Scientist 'F' and Scientist 'G' shall comprise of the following members, namely: -

(i)	Secretary of the Ministry or Department having administrative control of the Bureau	-	Chairperson;
(ii)	two Secretaries of other Ministry or Department having administrative control over institution(s) or organization(s) involved in research or scientific activities or his representative who is at least one level above the post to which *in-situ* promotion under Revised Flexible Complementing Scheme is to be made	-	Members;
(iii)	Director General, Bureau of Indian Standards	-	Member;
(iv)	Director, National Physical Laboratory	-	Member; and
(v)	Director, Central Food Technological Research Institute	-	Member.

(4) The recommendations of the Assessment Committee in respect of officers of Scientific Cadre for promotion of Scientist 'B' to Scientist 'C', Scientist 'C' to Scientist 'D' and Scientist 'D' to Scientist 'E' shall be referred to the appointing authority for approval.

(5) The recommendations of the Assessment Committee in respect of officers of Scientific Cadre for promotion of Scientist 'E' to Scientist 'F' and Scientist 'F' to Scientist 'G' shall be referred to the Central Government for approval.

(6) Promotions of the officers as recommended shall be effective from the date of such approval.

15. Promotion to the post of Scientist 'B'. – (1) The promotions to the posts of Scientist 'B' shall be made through the Limited Departmental Competitive Examination.

(2) Officers eligible for promotion to the post of Scientist 'B' shall be assessed for promotion on the basis of the following components and the relative weightage for each component shall be as follows:-

(a) written examination	-	50 per cent
(b) Annual Performance Appraisal Reports	-	50 per cent

(3) The written examination shall consist of two parts covering the following:-

(i) general concepts relating to Standardization and Quality Control; and

(ii) technical knowledge pertaining to the respective discipline of the candidates, as provided in the Second Schedule;

(4) The qualifying marks in the written examination shall be fifty-five per cent

(5) Marks for Annual Performance Appraisal Reports for the previous five years shall be allotted out of a maximum of 10 marks for each year, according to the grading in Annual Performance Appraisal Reports on the following basis:

Outstanding	9
Very Good	7
Good	5
Average	3

(6) A select list shall be prepared in order of merit of the candidates on the basis of the total marks obtained in written examination and Annual Performance Appraisal Reports of the previous five years according to their respective weightage.

(7) The select list in respect of officers for promotion to Scientist 'B' shall be referred to the Director General for approval.

(8) Promotions of the officers shall be effective from the date of such approval.

16. Standing Committee. – (1) A Standing Committee shall be constituted by the Executive Committee to determine the equivalence of disciplines comprising of three officers of the Bureau not below the rank of Scientist 'F' and the senior most amongst them shall be the Chairperson of the Committee.

(2) In order to accommodate the dynamic needs of expertise that may be required, the Standing Committee shall also determine the additional disciplines as required from time to time for the purposes of recruitment.

17. Sanctioned strength of cadre. – (1) The sanctioned strength of cadre shall be such as may be determined from time to time by the Executive Committee with the approval of the Central Government and the cadre strength shall specify the number of posts to be covered under Scientific Cadre as a whole and shall be 579 as on date:

Provided that there shall be interchangeability between the posts of Scientist 'B', Scientist 'C', Scientist 'D', Scientist 'E', Scientist 'F' and Scientist 'G' on account of *in-situ* promotion under the Revised Flexible Complimenting Scheme subject to the condition that total numbers of these posts taken together shall not exceed the sanctioned strength of cadre.

(2) The *in-situ* promotion under the Revised Flexible Complementing Scheme shall be personal to the officer concerned and shall not result in specific vacancy in lower grade on that account.

(3) The post currently held by concerned officer shall be upgraded and shall be personal to him for duration of his holding the *in-situ* promotion post.

(4) The vacancy that may be created owing to superannuation, resignation, removal or death of the officer shall result in the post reverting to the original position of Scientist 'B'.

18. Power to relax. - Where the Executive Committee is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, with the approval of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons.

19. Saving. - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

20. Interpretation. - If any question relating to the interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Bureau with the approval of the Central Government.

THE FIRST SCHEDULE

(See regulations 3, 5, 8 and 15)

Sl. no.	Name of post and level in Pay Matrix	Number of posts.	Method of filling up posts.	Maximum age-limit for direct recruitment	Educational qualifications for direct recruitment or deputation	Experience for direct recruitment or deputation.	Eligibility for promotion.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Scientist 'B' Level 10 (Rs. 56100-177500).	Variable*	(a) 90% of posts in the cadre by direct recruitment	-	-	-	-
			(i) by final score obtained after appearing in the latest examination under the Public Disclosure Scheme in respect of those disciplines specified in the Second Schedule	thirty years.	Essential – (a) Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in any discipline specified in the Second Schedule. (b) final score obtained after appearing in the latest examination under Public Disclosure Scheme Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates otherwise	NIL	Not applicable

					well qualified, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite qualification are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. The appointing authority shall record the reasons for relaxing the qualifications in writing while doing so.		
			(ii) by GATE score in respect of those disciplines specified in the Second Schedule for which GATE is conducted.;	thirty years.	Essential – (a) Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in any discipline specified in the Second Schedule.	NIL	Not applicable

					(b) GATE score Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates otherwise well qualified, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite qualification are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. The appointing authority shall record the reasons for relaxing the qualifications in writing while doing so.		
			(iii) by scores obtained in a national level examination conducted by a government agency other than covered in Public Disclosure Scheme in respect of	thirty years.	Essential – (a) Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent from university or institution or	NIL	Not applicable

			those disciplines specified in the Second Schedule for which any examination under Public Disclosure Scheme or GATE is not conducted;		board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in any discipline specified in the Second Schedule. (b) Score of a latest national level examination conducted by a government agency other than covered in Public Disclosure Scheme Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates otherwise well qualified, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite qualification are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. The appointing authority shall record		

					the reasons for relaxing the qualifications in writing while doing so.		
			(iv) by competitive examination in respect of those disciplines specified in the Second Schedule for which any examination under Public Disclosure Scheme or GATE is not conducted.	thirty years.	Essential – Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in the disciplines specified in the Second Schedule. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates otherwise well qualified, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite	NIL	Not applicable

					qualification are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. The appointing authority shall record the reasons for relaxing the qualifications in writing while doing so.		
			(b) 10% by promotion from Group `B' posts in accordance with the procedure specified in regulation 15.	fifty years.	Not applicable	Not applicable	(a) Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or Equivalent from university/institution/board recognized by Government of India or approved by Government Regulatory Bodies in any of the disciplines specified in the Second Schedule. (b) ten years' experience as Technical Assistant (Laboratory) or ten years' combined experience as Laboratory Officer or Technical Assistant (Laboratory) in the Laboratory Technical Posts Cadre or ten years' experience as Senior Technical Assistant (Drawing) or Supervisor (Drawing) in the Administration, Finance and Other Posts Cadre. (c) have passed the Departmental examination as specified in regulation 15.
2.	Scientist 'C' Level 11 (Rs. 67700-208700).	Variable*	Promotion.	-	-	-	As per Revised Flexible Complementing Scheme of the Central Government.
			Deputation.	fifty-six years.	Essential – Bachelor's Degree in Engineering or Technology	Scientists or Technologists working in the Central Government or the State	

					or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in the disciplines specified in the Second Schedule. Desirable: Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Doctorate Degree in Natural Sciences from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in any discipline specified in the Second Schedule.	Governments or universities or recognised research institutions or statutory organisations or autonomous bodies or public sector undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix; and (b) possessing four years' experience in the field of Standardization or Quality Assurance or Testing or Production or Design or Research. Note 1: The period of deputation, (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or similar organisation or Department of the Central Governments shall ordinarily not exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority. Note 2: The departmental candidates in the feeder category	

						who are in the direct line of *in-situ* promotion under the Revised Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationists shall also not be eligible for consideration for *in-situ* promotions under the Revised Flexible Complementing Scheme. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty - six years as on the closing date of receipt of the applications.	
3.	Scientist 'D' Level 12 (Rs. 78800-209200).	Variable*	Promotion.	-	-	-	As per the Revised Flexible Complementing Scheme of the Central Government .
			Deputation.	fifty-six years.	Essential – Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory	Scientists or Technologists working in the Central Government or the State Governments or universities or recognised research institutions or statutory organisations or autonomous bodies or public sector undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' service in the grade rendered after	

					bodies in any discipline specified in the Second Schedule. Desirable: Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Doctorate Degree in Natural Sciences from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in any discipline specified in the Second Schedule.	appointment thereto on regular basis in level 11 (Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) possessing eight years' experience in the field of Standardization or Quality Assurance or Testing or Production or Design or Research. Note 1: The period of deputation, (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or similar organisation or Department of the Central Governments shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority. Note 2: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of *in-situ* promotion under the Revised Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationists shall also not be eligible for consideration for *in-situ* promotions under the Revised Flexible	

						Complementing Scheme. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.	
4.	Scientist 'E' Level 13 (Rs. 123100-215900).	Variable*	Promotion.	-	-	-	As per the Revised Flexible Complementing Scheme of the Central Government.
			Deputation.	fifty-six years.	Essential - Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in any discipline specified in the Second Schedule. Desirable: Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Doctorate Degree in Natural Sciences from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by	Scientists or Technologists working in the Central Government or the State Governments or universities or recognised research institutions or statutory organisations or autonomous bodies or public sector undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 11(Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix; and (b) possessing ten years' experience in the field of Standardization or Quality	

					Government regulatory bodies in any discipline specified in the Second Schedule.	Assurance or Testing or Production or Design or Research. Note 1: The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or similar organisations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority. Note 2: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of *in-situ* promotion under the Revised Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationists shall also not be eligible for consideration for *in-situ* promotions under the Revised Flexible Complementing Scheme. Note 3: The maximum age	

						limit for appointment on deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.	
5.	Scientist 'F' Level 13A (Rs. 131100-216600).	Variable*	Promotion.	-	-	-	As per the Revised Flexible Complementing Scheme of the Central Government .
			Deputation	fifty-six years.	Essential – Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in any discipline specified in the Second Schedule. Desirable: Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Doctorate Degree in Natural Sciences from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in any discipline specified in	Scientists or Technologists working in the Central Government or the State Governments or universities or recognised research institutions or statutory organisations or autonomous bodies or public sector undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix; or (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-12 (Rs.78800-209200) in the Pay Matrix ; and (b) possessing twelve years' experience in the field of Standardization or Quality Assurance or Testing or Production or Design or Research.	

					the Second Schedule.	Note 1: The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or similar organisations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority. Note 2: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of *in-situ* promotion under the Revised Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationists shall also not be eligible for consideration for *in-situ* promotions under the Revised Flexible Complementing Scheme. Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty-	

						six years as on the closing date of receipt of the applications.	
6.	Scientist 'G' Level 14 (Rs. 144200-218200).	Variable*	Promotion.	-	-	-	As per the Revised Flexible Complementing Scheme of the Central Government .
			Deputation	fifty-six years.	Essential – Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in any discipline specified in the Second Schedule. Desirable: Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Doctorate Degree in Natural Sciences from university or institution or board recognized by the Government of India or approved by Government regulatory bodies in any discipline specified in the Second Schedule.	Scientists or Technologists working in the Central Government or the State Governments or universities or recognised research institutions or statutory organisations or autonomous bodies or public sector undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-13A (Rs. 131100-216600) in the Pay Matrix; or (iii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix ; and (b) possessing fifteen years' experience in the field of Standardization or Quality Assurance or Testing or Production or Design or Research, out of which seven years shall be in administration, planning, development and	

						cooperation and experience of evolving, managing and directing programmes in relevant field. Note 1: The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or some other organisations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority. Note 2: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of *in-situ* promotion under the Revised Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationists shall also not be eligible for consideration for *in-situ* promotions under the Revised Flexible Complementing Scheme.	

						Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.	

*Total number of sanctioned posts as on date is 579.

Note: In addition to the designation indicated in column 2 of First Schedule, the Director General may designate the Scientific Cadre officers as per functional requirements.

THE SECOND SCHEDULE

(See regulations 3, 6 and 15 and the First Schedule)

List of disciplines

I SCIENCE COURSES

1. Agriculture;
2. Chemistry;
3. Bio-Chemistry;
4. Micro Biology;
5. Physics;
6. Computer Sciences and Information Technology;
7. Medicine (M.B.B.S); and
8. Environmental Science.

II. ENGINEERING OR TECHNOLOGY COURSES

1. Food Technology;
2. Agriculture Engineering;
3. Bio-Technology;
4. Dairy Technology;
5. Chemical;
6. Petro-Chemical;
7. Environment;
8. Leather;
9. Textile Engineering and Fibre Science;
10. Electrical;
11. Instrumentation;
12. Electronics and Telecommunications;
13. Computer;
14. Civil;
15. Mechatronics;
16. Transport;
17. Mechanical;

18. Production and Industrial;
19. Automobile;
20. Mining;
21. Bio-medical; and
22. Metallurgical.

Note. – Where two disciplines have been combined, qualification in either or both is counted.

ALKA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./407/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.